रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 2010/वैशाख 28, 1932

No. 260] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 18, 2010/VAISAKHA 28, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2010

सा.का.नि. 414(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल सहायक कमांडेंट (कार्यालय) भर्ती नियम, 2002 और सहायक कमांडेंट (स्टाफ आफिसर) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में सहायक कमांडेंट (कार्यालय) और सहायक कमांडेट (स्टाफ आफिसर) (समूह 'क' पद) के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल , सहायक कमांडेंट (कार्यालय) और सहायक कमांडेट (स्टाफ आफिसर) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल मैन्युअल खण्ड-III में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर नियुक्ति सहित, प्रोन्नति और नियुक्ति के पात्र होंगे ।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोडे गए वर्षो का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नही	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक कमांडेंट (कार्यालय)	21* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित), (योधक अनुसचिवीय)	वेतन बैंड– 3, 15600–39100 रू0 और ग्रेड वेतन 5400 रूपए	चयन	लागू नही होता	लागू नही होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नही होता	लागू नही होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य विभागों के अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हों या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार विभाग में वेतन बैंड 2, 9300–34800 रूपए और 4600 ग्रेड वेतन के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1.—** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नही होगी। **टिप्पण 2.—** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उनकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 4. निदेशक या उपसचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से छूट प्राप्त है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक कमांडेंट (स्टाफ आफिसर)	3* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित), (योधक अनुसचिवीय)	वेतन बैंड– 3, 15600–39100 रू0 और ग्रेड वेतन 5400 रूपए	चयन	लागू नही होता	लागू नही होता

(8)	(9)	(10)
लागू नही होता	लागू नही होता	प्रोन्नति व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति द्वारा** : भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सूबेदार मेजर (आशुलिपिक)/निरीक्षक (आशुलिपिक) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति द्वारा:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य विभागों के आशुलिपिक जो सदृश पद धारण किए हों या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार विभाग में वेतन बैंड 2, 9300–34800 रूपए और 4600 ग्रेड वेतन में आशुलिपिक हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1.—** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नही होगी। **टिप्पण 2.—** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 4. निदेशक या उपसचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से छूट प्राप्त है।

[फा. सं. आई. 12011/7/2009–संगठन]

एस. सी. शिवाजी राव, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2010

G.S.R. 414(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Office) Recruitment Rules, 2002 and the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Staff Officer) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Commandant (Office) and Assistant Commandant (Staff Officer) (Group 'A' posts) in the Indo-Tibetan Border Police Force, under the Ministry of Home Affairs namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Office) and Assistant Commandant (Staff Officer) (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other, matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual Volume-III, shall be eligible for promotion and appointment including appointment on deputation or re-employment under the provisions of these rules.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant Commandant (Office)	21* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' (Gazetted), (Combatised Ministerial).	PB-3, Rs. 15600-39100 and Grade Pay Rs. 5400/-.	Selection.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two Years.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption in the grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(12)
By Promotion : From amongst Inspector (Combatant Ministerial) of Indo-Tibetan Border Police Force with three years regular service in the grade. **Note.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation: By deputation of officers from other Central Government department/State Government holding equivalent or analogous post or Officers of other Central/State Government department in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 and Grade Pay Rs. 4600 having three years service in the grade. **Note. 1**— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 52 years as on the closing date of receipt of application. **Note. 2**— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director General or Addl Director General Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman 2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member 3. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Commandant (Staff Officer).	3* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' (Gazetted), (Combatised Ministerial).	PB-3, Rs. 15600-39100 and Grade Pay Rs. 5400/-.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two Years for promotees.	By promotion failing which by deputation.

(12)
By Promotion: From amongst Subedar Major (Stenographers)/Inspector (Stenographers) of Indo-Tibetan Border Police Force with three years regular service in the grade. **Note.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By deputation:** By deputation of Stenographers of the other Central Government or State Government holding equivalent or analogous post or Stenographer of other Central Government or State Government department in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 and Grade Pay Rs. 4600 having three years service in the grade. **Note. 1**— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 52 years as on the closing date of receipt of application. **Note. 2**— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.

(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director General or Addl Director General Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman 2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member 3. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

[F. No. I. 12011/7/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.